

क्रमांक: प.2(2)खान / मुप-1 / 2017

राजस्थान सरकार  
खान (मुप-1) विभाग

जयपुर, दिनांक: 06 JUL 2021

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित भूविज्ञानिक को उनके सम्मुख अंकित रिवितयों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठ भूविज्ञानिक के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम       | श्रेणी  | चयनित वर्ष | रिवित दिनांक |
|---------|----------------------|---------|------------|--------------|
| 1.      | श्री गोरखन राम उत्ता | सामान्य | 2019-20    | 01.04.2019   |

06/07/2019

उक्त अधिकारी के पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। अतः पदस्थापन आदेश जारी होने के उपरांत ही पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन परिवर्तनशील रहेगी।

आज्ञा से

—५६—  
( नीतू बारुपाल )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करायें।
- संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- निजी पत्रावली।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव